दिल्ली विधान सभा

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

(आठवाँ प्रतिवेदन)

(EIGHTH REPORT)

(दिनांक 24 सितम्बर, 2001 को प्रस्तुत)

(PRESENTED ON 24TH SEPTEMBER, 2001)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
विधान सभा भवन
दिल्ली-110 054

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
VIDHAN SABHA BHAWAN
DELHI-110054

समिति का गठन

1.	श्री हारून युसुफ	सभापति
2.	श्री चरण सिंह कण्डेरा	सदस्य
3.	श्री राधे श्याम खन्ना	सदस्य
4.	श्री राजेश जैन	सदस्य
5.	श्री रूप चन्द	सदस्य
6.	श्री नरेश गौड़	सदस्य
7.	श्री राम भज	सदस्य

विशेष आमंत्रित

1.	श्री रमेश चन्द्रा	प्रधान सचिव(वित्त)
2.	श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता	महालेखाकार(लेखा परीक्षा), दिल्ली ।

सचिवालय

1.	श्री एस के शर्मा	सचिव
2.	श्री सिद्धार्थ राव	संयुक्त सचिव
3.	श्री पी एन सिन्हा	अवर सचिव(वित्तीय समितियॉ)
4.	श्री सी वेलमुरूगन	अधीक्षक(समिति)

प्रस्तावना

मैं, हारून युसुफ, लोक लेखा समिति(2001-2002) का सभापति, समिति द्वारा इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किये जाने पर उनकी ओर से यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग में वृध्दावस्था पेंशन योजना को मॉनीटर एवं लागू करने में गम्भीर अनियमितताओं को दर्शाया गया हैं । समाज कल्याण विभाग पर लगाये गये आरोपों से संबंधित मामला दिनांक 09 अप्रैल, 2001 को उठाया गया । माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि इस मामले को लोक लेखा समिति द्वारा प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए और इसके बारे में आगामी सत्र के प्रथम दिन सदन में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए ।

समिति ने दिनांक 12.09.2001 को सम्पन्न अपनी बैठक में प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर स्वीकृत किया ।

समिति महालेखाकार(लेखा परीक्षा), दिल्ली तथा प्रधान सचिव(वित्त) द्वारा दिये गये सहयोग तथा इस प्रतिवेदन को तैयार करने एवं अन्तिम रूप देने के लिए विधान सभा सचिवालय द्वारा दिये गये सहयोग एवं सहायता के लिए प्रशंसा करती है ।

हारून युसुफ

(हारून युसुफ)
सभापति,
लोक लेखा समिति

दिल्ली,
दिनांक :

प्रतिवेदन

समाज कल्याण विभाग ने दिल्ली में 1975 में वृध्दावस्था सहायाता (पेंशन) योजना प्रारंभ की । योजना का उद्देश्य विकलांग तथा निराश्रित लोगों को सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है । योजना निम्नलिखित सभी शर्तो को पूर्ण करने वाले लोगों को लाभ प्रदान करती है :-

(क) वे दिल्ली के वास्तविक नागरिक होने चाहिए जिनकी आयु 60 वर्ष की हो चुकी हो, विकलांग लोगों के मामले में 5 वर्ष की छूट है ।

(ख) वे दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् या अन्य किसी स्त्रोत से वृध्दावस्था पेंशन नहीं ले रहे हों।

(ग) उनकी व्यक्तिगत आय या परिवारिक आय 22000 रूपये वार्षिक से कम होनी चाहिए ।

(घ) वे किसी प्रकार का लाभकारी कार्य करने में सक्षम न हो और संबंधियों द्वारा सहायता समर्थित न हो ।

(ड.) आवेदन करते समय वे 5 वर्ष से अधिक समय तक दिल्ली में अवश्य रहे हों ।

विधयक/सांसद/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण बोर्डो के सदस्य पेंशन की संस्वीकृति के मामलों की सिफारिश करते है । वर्तमान में प्रत्येक सदस्य से इस सिफारिश का वार्षिक कोटा 300 मामलों का है और योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को पेंशन की दर 200 रूपये प्रति मास है जिसका त्रैमासिक रूप से भुगतान होगा।

नियंत्रक एवं महालेखाकार ने मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष हेतु अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित अनियमितताओं को दर्शाया है :-

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की वृध्दावस्था सहायता (पेंशन) योजना के समाज कल्याण विभाग द्वारा दयनीय कुप्रशासन था ।

- योजना की सबसे गम्भीर त्रुटी विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता के संबंध में अपनी ओर से कोई जांच किए बिना, जैसा कि निर्धारित था, विधायकों, सांसदों तथा दिल्ली के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बोर्ड के सदस्यों की सिफारिशों पर पेंशन की नेमी संस्वीकृति थी । लेखा परीक्षा ने पाया कि इन लोंगों को भी पेंशन संस्वीकृत की गई थी जो लेखा परीक्षा नमूने के 37 प्रतिशत मामलों में या तो पात्र नहीं थे या उनकी पात्रता संदिग्ध थी तथा इस में चार करोड़ से अधिक पेंशन भुगतान शामिल थे ।

- 1720 मामलों में उन्ही लाभ भोगियों को बार-बार संस्वीकृतियॉ जारी की गई थी, जिनमें केवल 1998 और 1999 में लग-भग 24 लाख रूपये के भुगतान शामिल थी ।

- पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या के संबंध में समाज कल्याण विभाग और डाकघरों के आकड़ों में कई अनुत्तरित विसंगतियां थी ।

- जनवरी, 1999 तक डाकघरों में 85.81 लाख रूपये अवितरित और अदावित रहे ।

- मई 1998 में शुरू की गई लाभ भोगियों को उनकी दहलीज पर भुगतान की योजना के अंतर्गत 1.35 करोड़ रुपये की राशि के 10,000 से ज्यादा के चैक वितरित नहीं किए गए थे।

- सरकार ने गंभीर प्रशासनिक त्रुटियों के लिए न तो कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया और न ही उसने कोई सुधारात्मक कार्यवाही की जिससे वृध्दावस्था सहायता(पेंशन) योजना का लाभ उचित पात्र व्यक्तियों को ही मिले ।

1. **<u>पैरा 3.171 और 3.172 : समाज कल्याण विभाग ने नमूना जॉच किए गए 37 प्रतिशत लाभभोगियों को, जो अपात्र थे अथवा जिनकी पात्रता संदिग्ध थी, को चार करोड़ रुप्ये से भी अधिक का भुगतान किया । संदिग्ध पात्रता या अपात्रता की मुख्य श्रेणियॉ</u>** निम्नानुसार हैं :-

(क) 3066 मामलों में आयु का वैद्य प्रमाण सलंग्न नहीं था तथा विभाग ने प्रमाण के रूप में राशन कार्ड को स्वीकार कर लिया । इन 2060 मामलों में राशन कार्ड में दर्शाई गई आयु भी 60 से कम थी तथा 1006 मामलों में आयु कटिंग अथवा उसके उपर लिख कर बदली गई थी ।

(ख) 5358 मामलों में विभाग ने पारिवारिक आय से संबंधित विवरण न होने अथवा अधूरे होने के बावजूद पेंशन स्वीकृत की, तथा 428 मामलों में उन लोगों को पेंशन दी गई थी जो आय पात्रता सीमा पार कर गए थे ।

(ग) 1069 मामलों में विवरण सिफारिश करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किए गए थे, परन्तु विभाग ने फिर भी पेंशन स्वीकृत कर दी ।

इन त्रुटियों के लिए विभाग द्वारा दिये गये कारण थे कि स्टॉफ की कमी, अत्यधिक कार्य-भार और चूँकि विधायकों और सांसदों ने इन मामलों की सिफारिश की थी, के कारण इन अवेदनों की उचित रूप से जॉच नहीं की जा सकी। समिति ने इन कारणों को स्वीकृत नही किया क्योंकि यह अनुभव किया गया कि यदि केवल यही मामला था तो तब विभाग को उसी समय संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष स्वयं इन कठिनाइयों को उठाया जाना चाहिए था । तथापि, समिति सिफारिश करती है कि विभाग को बढ़े कार्य-भार के अनुरूप उचित स्टाफ का आबंटन किया जाए । तथापि, तथ्य यह है कि केवल योग्य और पात्र आवेदकों के लिए पेंशन स्वीकृति

को सुनिश्चित करना विभाग का उत्तरदायित्व है और विभाग द्वारा सदस्यों एवं आवेदकों पर संपूर्ण उत्तरदायित्व थोपना उचित नहीं है ।

विभाग यह स्वीकार करता है कि ये त्रुटियां उसके आन्तरिक लेखा परीक्षा द्वारा भी दर्शाई गई थी और मामले को भ्रष्टाचार निवारण विभाग को भेज दिया गया था । दुर्भाग्यवश, भ्रष्टाचार निवारण विभाग द्वारा मार्च, 1999 में अपना प्रतिवेदन (रिपोर्ट) देने के बावजूद विभाग ने वर्ष 1999-2000 में 1484 अपात्र मामलों में पेंशन स्वीकृत की । यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि विभाग ने अपने गत अनुभव से कुछ भी नही सीखा है और उन्हीं अनियमितताओं को दोहराया है । 6 जुलाई, 2001 को सम्पन्न बैठक में विभाग ने बताया कि ये 1484 मामलें अब रद्द कर दिये गये हैं, समिति सिफारिश करती है कि इन त्रुटियों के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूध्द सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही तुरन्त आरंभ की जानी चाहिए ।

2. **पैरा 3.173 : विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी, कि क्या आवेदक किसी अन्य स्त्रोत से पेंशन ले रहा था, कोई जॉच नहीं की ।**

पैरा 3.374 : योजना में अपेक्षित किसी समानान्तर जॉच के बिना केवल विधायकों की सिफारिश के आधार पर ही सभी आवेदकों को पेंशन संस्वीकृत कर दी ।

6 जुलाई, 2001 को सम्पन्न समिति की बैठक में सचिव (समाज कल्याण) ने बताया कि माननीय उप-राज्यपाल, दिल्ली ने 15 अक्टूबर, 1995 को समाज कल्याण मंत्री के प्रस्ताव को लिखित अनुमोदन दिया कि विभाग को विधायकों की सिफारिशों को अन्तिम रूप में स्वीकार करना चाहिए तथा और आगे जॉच का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए और तद्नुसार विभाग केवल संदिग्ध मामलों जॉच-पड़ताल कर रहा था ।

सदस्यों की सिफारिशों पर सरकार के विश्वास की सराहना करते हुए समिति ने ध्यान दिलाना चाहा कि साधनों की कमी के कारण सदस्यों से प्रत्येक आवेदक के विवरण के पता लगाने की आशा नहीं की जा सकती और विशेष रूप से कि क्या आवेदक अन्य स्त्रोत से भी पेंशन ले रहा हैं । विभाग ने आश्वासन दिया कि कम्प्यूट्रीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद विभाग के आकड़ों को दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के साथ मिलाया जा सकेगा और एक से ज्यादा स्त्रोत से पेंशन ले रहे व्यक्ति की पहचान की जा सकेगी।

इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि सरकार ने विधायकों पर विश्वास किया है, समिति ने ध्यान दिलाना चाहा कि विभाग को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली नगर निगम इत्यादि के साथ मामले को उठाना चाहिए तथा इन विभागों की सूचनाओं के साथ अपना तालमेल बनाना चाहिए। ऐसे मामलों से बचने हेतु विभाग को राशन कार्ड या चुनाव विभाग द्वारा जारी पहचान पत्रों में पेंशनभोगियों के खाता संख्या को समविष्ट करने की संभाव्यता पर भी विचार करना चाहिए ।

3. **पैरा 3.75 : सात निर्वाचन क्षेत्रों में, लेखा-परीक्षा ने देखा कि एक औसत के आधार पर 300 प्रति सदस्य के वार्षिक कोटे में से एक तिहाई से अधिक मामले संदिग्ध पात्रता के थे, मामलों की जांच के लिए विभाग का उत्तरदायित्व काफी महत्वपूर्ण था, इस संबंध में विभाग विफल रहा ।**

6 जुलाई, 2001 को सम्पन्न बैठक में समिति को बताया गया कि इन मामलों की विधायकों द्वारा बाकायदा सिफारिश की गई थी और इसलिए जॉच नहीं की गई । समिति ने अनुभव किया कि यह जवाब तर्कसंगत नहीं था । पूर्वोक्त अनुसार विधायकों के पास जॉच हेतु उपलब्ध साधन सीमित है । अपने लिखित जवाब में विभाग ने स्वीकार किया था कि स्टॉफ की कमी के कारण उचित जॉच नहीं की जा सकी और विभाग ने वर्ष 1999-2000 से 10 जिला समाज कल्याण अधिकारियों के बीच कार्य को विकेन्द्रित किया है तब से बेहतर परिणाम दिखाई दिए है ।

समिति प्रक्रिया को सरल तथा कारगर बनाने के विभाग के प्रयत्नों की प्रशंसा करती है किन्तु यह सिफारिश करती है कि नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा चिन्हित की गई त्रुटियों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान और उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

4. **पैरा 3.176 : संवितरण की प्रणाली** - महालेखा परीक्षक ने पता लगाया कि विभाग के पेंशन भोगियों के विवरण और डाकघरों के विवरण में अन्तर था । विभाग ने यह पता लगने के बावजूद कि 85.85 लाख रुपये की राशि जनवरी, 1999 तक विभिन्न डाकघरों में अवितरित/अदावित पड़ी थी, इस मामले में आगे जॉच करने का कोई प्रयास नहीं किया । विभागीय प्रतिनिधियों ने समिति को बताया कि लगभग तीन लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है और बकाया राशि की वसूली हेतु प्रयास जारी है ।

इस प्रकार, ढ़ाई वर्ष निकल जाने के बावजूद विभाग अपनी अप्रयुक्त पड़ी हुई निधियों में से केवल एक हिस्से को ही वसूल कर पाया । इसके अलावा 85.81 लाख रुपये का आंकड़ा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई नमूना जॉच के परिणाम पर आधारित है तथा वास्तविक आंकड़ा तो काफी अधिक होगा ।

समिति सिफारिश करती है कि विभाग ऐसे मामलों में विस्तृत समीक्षा प्रारंभ करे और अवितरित और अदावित राशि की वसूली हेतु शीघ्र कदम उठाए । विभाग को पेंशनरों से समय-समय पर ***जीवन प्रमाण-पत्र*** लेने की संभावना का भी पता लगाना चाहिए जैसा कि अन्य सरकारी पेंशनरों के मामले में किया जा रहा है ।

5. **पैरा 3.177 : लेखा परीक्षा ने देखा कि 1.35 करोड़ रुपये के 10881 चैक अवितरित रहे ।**

समिति को बताया गया कि चैक मृत्यु, आवास परिवर्तन, अधूरे पतों इत्यादि के कारण वितरित नही किये जा सके और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया और वेतन एवं लेखा कार्यालय के अनुमोदन से इन चैकों को रद्द कर दिया गया है ।

विभाग के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए समिति ने संकेत करना चाहा कि इस स्थिति से बचा जा सकता था यदि विभाग निर्धारित नियमों के अनुसार पेंशन के मामलों की समय-समय पर समीक्षा का संचालन करता ।

6. **पैरा 3.178 : विभाग ने जनवरी, 1999 में इलैक्ट्रॉनिक क्लीरिएन्स प्रणाली माध्यम से वृध्दावस्था पेंशन नकद भी ले रहे हैं ।**

समिति को सूचित किया गया कि नगद भुगतान प्रणाली अब पूर्णतया समाप्त कर दी गई है ।

7. **पैरा 3.179 योजना में यह प्रावधान है कि विभाग वृध्दावस्था पेंशन के मामलों का त्रैमासिक पुनरीक्षण करेगा । लेखा परीक्षा ने देखा कि ऐसी कोई जाँच नहीं की गई थी ।**

विभाग ने स्वीकार किया कि पूर्व में स्टॉफ की कमी के कारण आवधिक पुनरीक्षण का संचालन नहीं किया जा सका था किन्तु समिति को आश्वासन दिया कि भविष्य मे जैसे ही स्टॉफ प्रदान कर दिया जायेगा, पुनरीक्षण किया जाएगा ।

8. **पैरा 3.180 पेंशन के बहुल भुगतान के मामले**

विभाग द्वारा अगस्त, 1999 में लाभ भोगी विवरणों के कम्प्यूट्रीकरण से ऐसे 1720 मामलों का पता चला जहां विभाग ने लाभ भोगियों को दोहरी अथवा बहुल संस्वीकृतियॉ जारी की थी जिनमें 1999 और 2000 में लगभग 24 लाख रुपये के भुगतान शामिल थे ।

विभाग ने समिति को सूचित किया कि अपने सभी जिलों में कम्प्यूटरों की स्थापना के साथ ऐसे मामले पुनः घटित नहीं हो सकते और 17.11 दोहरी संस्वीकृति के पाये गये मामलों को इसकी मूल सूची से हटा दिया गया है ।

9. **पैरा 3.181 : सूचित किए गए मामलों में भी पेंशन जारी करना**

लाभ भोगियों की मृत्यु की संख्या को निर्धारित करने के लिए आवधिक पुनरीक्षण की भी विभाग के पास कोई प्रणाली नहीं थी । लेखा परीक्षा ने देखा कि कृष्णा नगर तथा लोधी रोड के डाकघरों ने विभाग को 124 और 44 पेंशन भोगियों की मौतों के संबंध में सूचित किया था, फिर भी विभाग ने पेंशन को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी ।

समिति त्रुटि हेतु जिम्मेवार अधिकारियों के विरूध्द विभागीय कार्यवाही की सिफारिश करती है और यह भी सिफारिश करती है कि विभाग आवधिक पुनरीक्षण प्रणाली का ईमानदारी से पालन करना सुनिश्चित करें ।

10. **पैरा 3.182,3.183 और 3.184 : निदेशालय के वित्तीय सहायता अनुभाग के तिजोरी के विभागीय प्रत्यक्ष सत्यापन से तिजोरी में नकदी की नियमित कमी का पता चला ।**

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में दर्शाया गया है कि, रोकड़िया/आहर्ता वितरण अधिकारी के स्तर पर नकदी का संचालन करने के संबंध में विभाग ने प्राप्ति तथा भुगतान नियमावली के मूल प्रावधानों का भी अनुसरण नहीं किया, जैसे प्रत्येक मास के अन्त में रोकड़वही में दर्शाए गए नकदी शेष का सत्यापन और उसकी शुध्दता का प्रमाणन करना । विसंगतियों को सम्पूर्ण जॉच हेतु उच्च अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया।

विभाग ने समिति को सूचित किया कि विभाग के सतकर्ता विभाग द्वारा मामलें की जॉच की जा रही है ।

1999 में दर्शायी गई त्रुटियों के बारे में जॉच अभी तक पूर्ण न हाने की ओर इशारा करते समय समिति ने खेद प्रकट किया और समिति यह सिफारिश करती है कि प्रक्रिया 3 मास के अन्दर पूर्ण की जाए और दोषी तथा निगरानी रखने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए ।

सिफारिशों का सारांश

1. समिति के निदेश पर सचिव(समाज कल्याण) ये आदेश जारी करने हेतु सहमत हुए कि वृध्दावस्था पेंशन सभी मामलों का निपटान आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के अन्दर कर दिया जाएगा, ऐसा करने में असफल होने पर संबंधित जिला अधिकारी को जिम्मेवार ठहराया जाएगा । आवश्यक आदेश तुरंत जारी किए जाने चाहिए ।

2. समिति ने यह पाया कि पेंशन के कई मामलों में आवेदन पत्रों में आवश्यक मामूली अशुध्दि की वजह से देरी की जा रही है । समिति यह सिफारिश करती है कि अनावश्यक देरी से बचने और पुराने आवेदकों को अधिक कठिनाई से बचाने की दृष्टि से सभी जिला अधिकारियों को ये निदेश दिए जाये कि वे मामूली प्रकृति की अपेक्षित अशुध्दि के आवेदन-पत्रों की समेकित सूची संबंधित क्षेत्रीय विधायकों की भेजे और इसे सुनिश्चत करने के लिए आवश्यक निदेश तुरंत जारी किये जाये ।

3. पेंशनभोगियों की मृत्यु इत्यादि का पता लगाने के लिए विभाग की पेंशनभोगियों से ***जीवन प्रमाण पत्र*** लेने की संभावना का पता लगाना चाहिए जैसा कि अन्य सरकारी पेंशन भोगियों के मामलों में किया जा रहा है ।

4. एक से अधिक स्त्रोत से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों के मामलों से बचने के लिए विभाग को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली नगर निगम इत्यादि के साथ मामले को उठाना चाहिए । ऐसे मामलों से बचने हेतु विभाग को राशन कार्ड या चुनाव विभाग द्वारा जारी पहचान पत्रों में पेंशनभोगियों के खाता संख्या को समविष्ट करने की संभाव्यता पर भी विचार करना चाहिए ।

5. पेंशन मामलों के आवधिक पुनरीक्षण को आवश्यक बनाया जाना चाहिए और सचिव को व्यक्तिगत रूप से प्रगति को मोनीटर करना चाहिए ।

6. समिति महसूश करती है कि पेंशनभोगियों द्वारा विभिन्न डाकघरों में परेशानियों का सामना किए जाने से संबंधित मामले को पोस्ट मास्टर जनरल के साथ उठाने की आवश्यकता है । इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही तुरंत प्रारंभ की जाये और डाक विभाग के प्राधिकारियों के सहयोग से डाकघरों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाना चाहिए ।

7. समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार विभागीय जॉच और भ्रष्टाचार निवारण विभाग द्वारा जॉच अतिशीघ्र पूर्ण की जानी चाहिए ।

समिति की सिफारिशों और निदेशों पर की गई कार्यवाही पर प्रतिवेदन, सदन द्वारा इस प्रतिवेदन को स्वीकार करने से तीन मास के अन्दर भेजी जाये ।

हारून युसुफ

(हारून युसुफ)
सभापति,
लोक लेखा समिति

दिल्ली,
दिनांक :

COMPOSITION OF THE COMMITTEE

1. SHRI HAROON YUSUF	CHAIRMAN
2. SHRI CHARAN SINGH KANDERA	MEMBER
3. SHRI RADHEY SHYAM KHANNA	MEMBER
4. SHRI RAJESH JAIN	MEMBER
5. SHRI ROOP CHAND	MEMBER
6. SHRI NARESH GAUR	MEMBER
7. SHRI RAM BHAJ	MEMBER

SPECIAL INVITEES

1. SHRI RAMESH CHANDRA	PRL.SECRETARY(FINANCE)
2. SMT. MEENAKSHI GUPTA	AG(Audit), DELHI.

SECRETARIAT

1. SHRI SK SHARMA	SECRETARY
2. SHRI SIDDHARATH RAO	JOINT SECRETARY
3. SHRI PN SINHA	UNDER SECRETARY (FC)
4. SHRI C. VELMURUGAN	SUPERINTENDENT(C)

INTRODUCTION

I Haroon Yusuf, Chairman of the Public Accounts Committee (2001-2002) having been authorised by the Committee to present this Report on their behalf do present this report.

The C& AG's Report for the year ending March 2000 had pointed out serious irregularities in the monitoring and implementation of the Old Age Pension Scheme of the Social Welfare Department, Government of Delhi. The matter regarding indictment of the Social Welfare Department was raised in the House on 9th April, 2001.Taking note of the sentiments of the Members, the Hon'ble Speaker directed that the matter be taken up by the PAC on priority basis and a report to this effect be presented in the House on the first day of the next session, when held.

The draft report was considered and adopted by the Committee in its meeting held on 12th September, 2001.

The Committee wishes to place on record its appreciation of the co-operation extended to it by the AG (Audit), Delhi, and the Principal Secretary (Finance) and help and assistance rendered by the Assembly Secretariat in the timely preparation and finalisation of this Report.

(Haroon Yusuf)
Chairman

Delhi
Dated : 12.9.01

REPORT

The Old Age Assistance (Pension) Scheme was introduced in 1975 in Delhi by the Social Welfare Department. The aim and objective of the Scheme is to provide social security cover by way of financial assistance to old persons who are destitute or disabled. The scheme extends benefits to the persons who satisfy all of the following conditions:-

a. They should be bonafide residents of Delhi who have attained the age of 60 years with 5 years relaxation in case of disabled persons.
b. They should not be receiving old age pension from the MCD, the NDMC or any other source.
c. Their individual income or family income should be below Rs.22,000 per annum.
d. They should be incapable of doing any kind of remunerative work and should not be supported by relatives.
e. They should have resided in Delhi for more than five years at the time of making the application.

The MLAs/MPs/Members of SC&ST Board of the NCT of Delhi recommend the cases for sanction of Pension. The annual quota of such recommendation from every Member is presently 300 cases and rate of pension under the scheme to eligible persons is Rs.200 per month payable quarterly.

The Comptroller and Auditor General in his Report for the year ending March, 2000 highlighted the following irregularities.

- There was a woeful misadministration by the Social Welfare Department of the Old Age Assistance (Pension) Scheme of the Government of NCT of Delhi.

- The most critical flaw was the routine sanction of pension by the department on the recommendations of the MLAs, MPs and the Members of SC&ST Board of Delhi, without exercising any check of their own as regards eligibility of applicants, as prescribed. Audit detected sanctions to persons who were either ineligible or were of questionable eligibility in 37 *per cent* cases in the audit sample involving pension payments of over Rs. four crore.

- There were cases of multiple sanctions to the same beneficiaries in 1720 cases involving payments of about Rs.24 lakh in 1998 and 1999 alone.

- There were unresolved discrepancies between the data of the Social Welfare Department and of the Post Offices as regards the number of pensioners.

- Rs. 85.81 lakh remained undisbursed and unclaimed in Post Offices as of January 1999.

- Over 10,000 cheques amounting to Rs.1.35 crore remained undistributed under the scheme of payment to beneficiaries at their doorsteps introduced in May 1998.
- The Government did not fix any responsibility for the grave administrative lapses nor it took corrective actions so that benefits of the Old Age Assistance (Pension) Scheme reach the genuine eligible persons.

1. **Paras 3.171 & 3.172 :Social Welfare Department paid over Rs. four crore to 37% beneficiaries in the test checked sample, who were ineligible or were of doubtful eligibility.** The main categories of doubtful eligibility or ineligibility were as follows :

a. In 3066 cases, valid proof of age was not attached and the department accepted ration card as proof. In 2060 of these cases even the age indicated in the ration card was below 60, and in 1006 cases the age was altered by cutting or overwriting.

b. In 5328 cases the department sanctioned pension despite the complete absence of details, or incomplete details relating to family income, and in 428 cases pension was given to persons crossing the income eligibility limit.

c. In 1069 cases the particulars had not been certified by the recommending authority, but the department sanctioned pension nevertheless.

The reasons given by the Department for these lapses were that the applications could not be examined properly due to shortage of staff and heavy workload and that these cases had been recommended by the MLAs and MPs. The Committee did not accept these reasons because it was felt that if this alone was the case then the difficulties faced by the Department ought to have been raised at that time itself before the concerned authorities. However, the Committee recommends that the Department is allotted suitable manpower corresponding with the increased workload. Still the fact remains that it is the Department's responsibility to ensure that the pensions are sanctioned only to the deserving and eligible applicants and it is not proper on the part of the Department to shift the entire responsibility on the Members and the applicants.

The Department admits that these lapses were also pointed out by its internal audit and the matter had been referred to the Anti-Corruption Department. Sadly, in spite of the Anti-Corruption Department submitting its report in March, 1999 the Department sanctioned pension to 1484 ineligible cases in the year 1999-2000. Apparently the Department appears to have learnt nothing from its past experiences and has repeated the same irregularities. The Department, in the meeting held on 6th July, 2001 stated that these 1484 ineligible cases had now been cancelled, but responsibility of the concerned officers/officials were not fixed. The Committee recommends that strict disciplinary action should be initiated immediately against the concerned officers/officials responsible for these lapses.

2. **PARA 3.173 The Department did not exercise checks to ensure whether the applicant was drawing the pension from other sources such as NDMC or MCD also:**

PARA 3.174 The Department sanctioned pension to all applicants merely on the basis of recommendation of the MLAs without any collateral verification as required in the Scheme:

The Secretary (Social Welfare) stated in the Committee's Meeting held on 6th July, 2001 that the then Lt. Governor, Delhi had given written approval on 15th October, 1995 to the Social Welfare Minister's proposal that the Department should accept the MLA's recommendation as final and further investigations should not be resorted to and accordingly the Department was now conducting verifications in only doubtful cases.

The Committee while appreciating the Government's faith on the recommendations of the Members would like to point out that due to lack of resources the Members cannot be expected to ascertain the particulars of each and every applicant and especially whether the applicant is also drawing pension from other sources. The Department has assured that after the process of computerisation is completed the data of the Department could be matched with that of the MCD, and NDMC and persons drawing pension from more than one sources would be identified.

In view of the fact that the Government has placed faith on the MLA's opinion the Committee, would like to impress upon the Department to take up the matter with the NDMC, MCD etc. and share the data base periodically. The Department should also consider the feasibility of incorporating the pensioners account number in the Food (Ration) Card or the identity cards issued by the Election Department to avoid such cases.

3. **PARA 3.175 In seven constituencies the Audit found that on an average over one third of cases, were of questionable eligibility. The responsibility of the Department in checking the cases was of paramount importance, in which it failed:** In the Meeting held on 6th July, 2001 the Committee was informed that these cases had been duly recommended by the area MLAs and hence verification was not done. The Committee felt that this reply was not tenable. As stated earlier, the resources available with the MLAs for verification are limited. In its written reply the Department had admitted that proper verification could not be undertaken due to the shortage of staff and that since 1999-2000 the Department had decentralised the work among the 10 District Social Welfare Officers and better results had been noticed.

The Committee appreciates the initiative of the Department in its efforts to streamline the process but recommends that officers/officials responsible for the lapse pointed out by the C & AG need to be identified and suitably dealt with.

4. **PARA 3.176 SYSTEM OF DISBURSEMENT** – The C& AG found that there was mis-match of the Department's data of pensioners with that of post offices. The Department having discovered that a sum of Rs.85.81 lakh remained undisbursed /unclaimed with various post offices as of January 1999 made little headway in any further probe in the matter. The Departmental Representative informed the Committee that approximately Rs. Three Lakh had been recovered and efforts were on to recover the balance amount.

Thus, in spite of the lapse of more than two and a half years the Department has managed to recover only a fraction of its funds which is lying unutilised. Moreover, the figure of Rs. 85.81 lakh was based on the results of test checks carried out by the C & AG and the actual figure would be much more.

The Committee recommends that the Department initiate a thorough review of such cases and take urgent steps to recover the undisbursed and unclaimed amount. The Department should also explore the possibilities of taking 'life certificates' from the pensioners periodically as was being done in the case of other government pensioners.

5. **PARA 3.177 Audit found that as many as 10881 cheques amounting to Rs. 1.35 crore remained undisbursed.** The Committee was informed that the cheques could not be disbursed due to death, shifting of residence, incomplete addresses etc., and that with the approval of the RBI and the Pay and Accounts Office these cheques had been cancelled.

The Committee while accepting the Department's clarification would like to point out that this situation could have been avoided had the Department conducted periodical review of the pension cases as has been prescribed in the Rules.

6. **PARA 3.178 In January 1999 the Department adopted the system of payment of old age pension through the Electronic Clearance System, however 11355 pensioners continued to draw pension in cash:** The Committee was informed that the system of cash payments had been completely stopped now.

7. **PARA 3.179 The Scheme stipulates that the Department would review cases of old age pension quarterly. Audit noticed that no such review was done**:

The Department admitted that periodical reviews could not be conducted earlier due to lack of staff but assured the Committee that in future it would be done as adequate staff had been deputed to the Departments.

8. **PARA 3.180 Cases of multiple payment of pension**: The Computerisation of beneficiary details in August 1999 by the Department led to detection of 1720 cases where the Department had issued duplicate and even multiple sanctions to the same beneficiaries involving payments of about Rs. 24 lakh in 1999 and 2000.

The Department informed the Committee that with the installation of computers in all its Districts such cases could not recur in future and that the 1711 cases found to be duplicate had since been deleted from its master list.

9. **PARA 3.181 Release of pension even in reported death cases**: The Department had no system of periodical review to determine the number of deaths of the beneficiaries. Audit found that the post offices of Krishna Nagar and Lodhi Road had intimated the Department regarding the death of 124 and 44 pensioners, still the Department had failed to take any action for stopping the release of the pension.

The Committee recommends departmental action against the officers responsible for callous approach and also recommends that the Department ensure that the system of periodical review is scrupulously followed.

10. **PARAS 3.182, 3.183 & 3.184 Departmental physical verification of cash chest of Financial Assistance Section of the Directorate revealed regular shortage of cash** The C & AG's report pointed out that the Department did not follow even basic provision of Receipt and Payment Rules with regard to handling of cash at Cashier/DDO level, such as verification of cash balance in the cash book at the end of each month and certifying its correctness. Discrepancies were not reported to the higher officers for thorough investigation.

The Department informed the Committee that the matter was being enquired into by its Vigilance wing.

The Committee regrets to point out that the enquiry into the lapse which had been pointed out way back in 1999 was still not completed and recommends that the process be completed within 3 months and the guilty including the concerned supervisory officers be brought to book.

SUMMARY OF RECOMMENDATIONS:

1. On the directions of the Committee the Secretary (Social Welfare) agreed to issue orders that all matters of old age pension scheme would be disposed off within sixty days of receipt of the application form failing which the District Officers would be held responsible. **Necessary orders be issued immediately.**

2. The Committee had observed that in many instances pension cases were being delayed due to minor corrections necessary in the application forms. The Committee recommends that with a view to avoid unnecessary delays and to save much trouble to the old applicants, all District Officers be directed to send consolidated lists of the application forms requiring corrections of minor nature to the area MLAs concerned. **Necessary directions be issued immediately.**

3. In order to detect the cases of death etc of pensioners, the Department should explore the possibility of taking 'life certificates' from the pensioners as is being done in the cases of other government pensioners.

4. To avoid cases where the pensioners are drawing pension from more than one source, the Department should take up the matter with the NDMC, MCD etc. and share the data base periodically. The Department should also consider the feasibility of incorporating the pensioners account number in the Food (Ration) Card or the identity cards issued by the Election Department to avoid such cases.

5. Periodic review of pension cases should be made mandatory and the Secretary should personally monitor the progress.

6. The Committee feels that the matter regarding harassment faced by the pensioners in the various Post Offices needs to be taken up with the Post Master General. Necessary action in this regard be immediately initiated and surprise checking of the post offices be undertaken with the cooperation of the postal authorities.

7. Departmental Enquiry as recommended by the Committee and the Anti-Corruption Department be completed at the earliest.

Action taken report on the recommendations and directions of the Committee be submitted within three months of the adoption of this Report by the House.

(Haroon Yusuf)
Chairman

Delhi
Dated :

* * *